

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग।

प्रेषित,

अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरा कॉलोनी फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

द्वारा : उप वन संरक्षक, वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

पत्रांक : 3095/सिं0ख0रू0/सियागाड,

रुद्रप्रयाग दिनांक : 09/04/2021

विषय : जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सियागाड नहर निर्माण हेतु 0.231 हैक्टे0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों के प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगतनीय है कि जनपद रुद्रप्रयाग में सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सियागाड नहर के निर्माण हेतु 0.231 हैक्टे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रस्ताव सं0-FP/UK/IRRIG/8805/2014 द्वारा प्रस्तावित है। जिस पर सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक-1313/X-4-16/1(246)/2017 दिनांक: 17.03.2017 द्वारा प्राप्त है तथा स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का नियमानुसार अनुपालना निम्नप्रकार से कर ली गयी है।

बिन्दु सं0-01: प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पडे स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु 100@1210=121000 (एक लाख इक्कीस हजार रू0 मात्र) की धनराशि जोकि एन0पी0वी0 की धनराशि में सम्मिलित है जमा करा दी गयी है। (संलग्न है संलग्नक : 1)

बिन्दु सं0-02: उपरोक्त बिन्दु के अनुपालन में बताना है कि प्रश्नगत क्षेत्र 1 हैक्टे0 से कम है तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या -5-3/2007-एफ0-सी0 दिनांक 05.02.2019 में उल्लिखित दरों के अनुसार रूपये 0.231/हैक्टे0 @ 6570000.00/हैक्टे0=151767.00 (एक लाख इक्यावन हजार सात सौ सडसठ रू0 मात्र) जोकि एन0पी0वी0 की धनराशि में सम्मिलित है जमा करा दी गयी है। संलग्न है (संलग्नक : 2)।

बिन्दु संख्या-03 : सिंचाई विभाग द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 के दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि सिंचाई विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(संलग्न:-03 वचन बद्धता प्रमाण पत्र)

बिन्दु सं0-04 : एन.पी.वी. की धनराशि रू0 272767.00 (दो लाख बहत्तर हजार सात सौ सडसठ मात्र) भारतीय स्टेट0 बैंक रुद्रप्रयाग के चालन सं0-SBIN32005791785 दिनांक 26.02.2020 द्वारा Application No-5788050823, MOEF/SG file No-1(246)/2016 के माध्यम से कार्पोरेशन बैंक लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लॉक-11, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स फेज-01 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करा दी गयी है। जिसकी छायाप्रति आपको सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न-04)

बिन्दु सं0-05 : जनपद कार्यबल व भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया जायेगा।

15


-2-

बिन्दु सं०-06 : वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र वांछना पर प्रस्तुत किये जायेंगे। (संलग्न है संलग्नक (1 से 14)

बिन्दु सं०-07 : प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत सियागाड नहर के निर्माण हेतु 0.231 हैक्टे० वन भूमि की गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग

पत्रांक : /सि०ख०रू०/ सियागाड/ तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग।
2. उप वन संरक्षक, वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग।


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग

सहायक - 1

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 26-02-2020

Agency Name.	UTTARAKHAND IRRIGATION DEPARTMENT
Application No.	5788050823
MoEF/SG File No.	1(246)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer, Irrigation Division Belani RudRudraprayag
Amount(In Rs)	272767/-



Amount in Words : Two Lakh Seventy-Two Thousand Seven Hundred and Sixty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150895788050823 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may s
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in



SBI 1532005791785

forestsclearance.nic.:~/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=IRR13880520

Srinivasan

Vineet

सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 26-02-2020

Agency Name.	UTTARAKHAND IRRIGATION DEPARTMENT
Application No.	5788050823
MoEF/SG File No.	1(246)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer, Irrigation Division Belani RudRudraprayag
Amount(in Rs)	272767/-

Amount in Words : Two Lakh Seventy-Two Thousand Seven Hundred and Sixty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150895788050823 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may s
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

भारतीय स्टेट बैंक/S.B.I.
रुद्रप्रयाग/RUDRAPRAYAG-02/16
R. F. No.-3212054

26 FEB 2020

S. S. RADWAL
Maker/Checker

सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

SBI 1432605791785

forestsclearance.nic.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=IRR:3880520

सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन0पी0बी की दर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि सिंचाई विभाग द्वारा जमा की जायेगी।



अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 26-02-2020

Agency Name.	UTTARAKHAND IRRIGATION DEPARTMENT
Application No.	5788050823
MoEF/SG File No.	1(246)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer, Irrigation Division Belani RudRudprayag
Amount(in Rs)	272767/-

Amount in Words: Two Lakh Seventy-Two Thousand Seven Hundred and Sixty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150895788050823 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may s
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

भारतीय स्टेट बैंक/S.B.
खण्ड/रुद्रप्रयाग-027005
R.F.No.-3312054

26 FEB 2020

G. S. RADWAL
Maker

26 FEB 2020

272767

S.B. 150895788050823

सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

272767

ANNEXURE

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT
RUDRAPRAYG (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee
constituted under schedule tribes & other Traditional forest**

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district constituted under FRA 2006 Was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S. District Magistrate Rudraprayag on date ~~16-01-2015~~ at time ~~3:00 P.M~~ at Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.231 hect. for the Construction of Siyagad Irrigation Canal (10.70 K.m.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated

Picoby atkotet
Vinod
सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिचाई खण्ड रुद्रप्रयाग
Ragha
(Dr. Raghav Langer)
District Magistrate-Cum-Chairman,
District Level Committe
Rudraprayag

ANNEXUR.....

**OFFICE OF THE CEPUTY COMMISIONER
DISTRICT----- (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of.....district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer.....I.A.S deputy commissioner...Rudraprayag on date 16-01-2015.....at time 3.00 PM.....at.....in which application claiming rights in forest land area measuring 231 hector, for the construction of Siyagad Irrigation minor (10.7 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub division level committee of Sakhal.....sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After security of the documents and detailed discussion, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Place:.....

Dated:.....

Raghar
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

8/1/2015
Vinod K. Singh
सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खण्ड के अन्तर्गत सियागाड नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग को 0.231 है. आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- जखोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खण्ड के अन्तर्गत सियागाड नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग को 0.231 है. आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी0) आरक्षित वन भूमि, 0.231 है0) का सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जखोली) की दिनांक 08/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री लक्ष्मी राज चौहान, उपजिलाधिकारी, जखोली (अध्यक्ष)
- 2- श्री ~~सौजन्य~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग (सदस्य)
- 3- श्री ~~हरिद्वार जो~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग (सदस्य/सचिव)
- 4- श्री ~~महावीर सिंह~~ बी0डी0सी0 क्षेत्र ~~पंचायत~~ सदस्य

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर निर्माण (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी0) परियोजना हेतु 0.231 हे0 वन भूमि सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.231 हे0 वन भूमि सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - जखोली
जनपद - रुद्रप्रयाग

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जखोली

तहसीलदार
जखोली
जनपद रुद्रप्रयाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
जखोली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित सिंचाई नहर जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी०) हेतु जो भूमि निर्माण /मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय

नाम-

ग्राम-

क्रास सैक्शन पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री पुत्र श्री ग्राम पटवारी वृत्त जिला रुद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	खाता /खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
योग		३२५

सहायक
प्रस्तावित कार्यो जन जेपद अन्तर्गत
350 m.m. एवं इसके ऊपर जोयद हेतु वाडप
विशेष जोत प्रस्तावित है. जेपद के अन्तर्गत
कार्यो हेतु पर ही उपलब्ध भूतन का पश्च
अराय करके सहायोजन कर दिया जायेगा।

राजस्व उप निरीक्षक
सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- मथ्यागांव

तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.231 हे० आरक्षित वन भूमि,) वन भूमि का सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मथ्यागांव द्वारा दिनांक 23/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मथ्यागांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रा० प० वि० अधि०

ह०/- क्षेत्र स्याद
ग्राम सभा विकास खण्ड जखोली
रुद्रप्रयाग



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- डांगी

तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.231 हे० आरक्षित वन भूमि,) वन भूमि का सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डांगी द्वारा दिनांक 16/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डांगी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्रा०/प० वि० अधि०

ह०/क्षेत्र सियागाड
ग्राम सिंचाई खण्ड जखोली
रुद्रप्रयाग



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री ००००००००००००

श्री ००००००००००००००

सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :- भुनालगांव
तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.231 हे0 आरक्षित वन भूमि,) वन भूमि का सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भुनालगांव द्वारा दिनांक 17/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भुनालगांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[Handwritten Signature]

ग्रा0 प0 दि0

ह0/क्षेत्र खण्ड
ग्राम विकास खण्ड जखोली



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

[Handwritten Signature]
8/9 2014
Vinoth K

सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- खोड
तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.231 हे० आरक्षित वन भूमि, वन भूमि का सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खोड द्वारा दिनांक 15/8/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खोड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रमाणित किया
हो क्षेत्र रुद्रप्रयाग
ग्राम विकास खण्ड
10.70 किमी०



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Ilcom attestation

Vinod Singh

सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- बक्सीर
तहसील जखोली, जिला रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में सियागाड नहर के निर्माण हेतु सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 10.70 किमी०) परियोजना के निर्माण हेतु (0.231 हे० आरक्षित वन भूमि,) वन भूमि का सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बक्सीर द्वारा दिनांक 21/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बक्सीर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- ग्राम पंचायत बक्सीर
ग्राम सचिव क्षेत्र रुद्रप्रयाग
विकास खण्ड जखोली



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Vinay
सहायक अभियन्ता द्वितीय
सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग

